29/01/26 पत्रावली पेश हुई। यह वाद वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत कृषि जोत के विभाजन हेतु दायर किया गया, जिसमें दिनांक 25.02.2020 को इस न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारों के मध्य सह-कास्तकारी जोत के विभाजन के संबंध में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। प्रारंभिक डिक्री के अनुपालन हेतु तहसीलदार मनोहरथाना को निर्देश दिए गए थे कि वे मौके पर जोत का बंटवारा बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव(कुर्रे प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि जिस समय वाद दायर हुआ था उस समय विवादग्रस्त आराजी में वादी विजय पिता हजारी का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है और ना ही कभी विजय पिता हजारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। वर्तमान जमाबंदी में केवल वादी नं0 1 घीसालाल पिता शंकर का 1/4 हिस्सा दर्ज है। तहसीलदार की ओर से सरकार पैरोकार ने मौखिक रूप से स्पष्ट मत व्यक्त किया कि प्रारंभिक डिक्री में वर्णित स्थिति और वर्तमान राजस्व अभिलेखों में पर्याप्त अंतर उत्पन्न हो गया है। उपर्युक्त परिवर्तन के कारण प्रारंभिक डिक्री के शाब्दिक अनुपालन में, मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करना व्यावहारिक एवं विधिक रूप से संभव नहीं है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गौरपूर्वक अवलोकन किया, तहसीलदार रिपोर्ट एवं सरकार पैरोकार की बहस पर मनन किया तत्पश्चात न्यायालय का न्यायिक विवेचन निम्नानुसार है :-

धारा 53 के अंतर्गत विभाजन वाद में पारित प्रारंभिक डिक्री, उस समय की पक्षकार स्थिति तथा जोत/खातों के स्वरूप पर आधारित रहती है, तथा उसी के अनुरूप अंतिम डिक्री पारित की जाती है। वर्तमान में वाद दायर किए जाने के समय की जमाबंदी एवं पक्षकारों की स्थिति तथा वर्तमान जमाबंदी एवं खातेदारों की स्थिति में पर्याप्त अंतर उत्पन्न हो चुका है, जिससे प्रारंभिक डिक्री और वास्तविक स्थिति में असंगति हो गई है। ऐसी दशा में यदि वर्तमान परिवर्तित स्थितियों को नजरअंदाज कर केवल पुरानी प्रारंभिक डिक्री के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है, तो वर्तमान खातेदारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण कर बैठेगा जो वाद का पक्षकार ही नहीं था, या कुछ वर्तमान खातेदार बिना सुनवाई के प्रभावित हो सकते हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं उचित न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। इसलिए न्यायालय के मत में यह वाद, अपने मूल रूप में, अब आगे अंतिम डिक्री तक नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि दावे एवं प्रारंभिक डिक्री और वर्तमान जोत/जमाबंदी की स्थिति के मध्य मूलभूत अंतर आ चुका है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विवेचना के आधार पर यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है:-

-: आदेश :-

चूंकि वाद दायर किए जाने के समय की पक्षकार-स्थिति एवं जोत-स्थिति में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है। प्रारंभिक डिक्री और वर्तमान राजस्व अभिलेखों के बीच पर्याप्त अंतर उत्पन्न हो गया है, इसलिए प्रारंभिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री पारित किया जाना अब संभव नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में प्रारंभिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री नहीं बनाई जा सकती, अतः वाद को इस सीमा तक अव्यवहार्य (infructuous) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। वादी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

सहित सभी संबंधित खातेदारों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे वर्तमान प्रचलित जमाबंदी एवं विद्यमान खातेदार-स्थिति के आधार पर, यदि वे चाहें, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत जोत विभाजन का नया वाद पृथक रूप से दायर कर सकते हैं, जहाँ उनकी वर्तमान स्थिति एवं अधिकारों का विधि अनुसार विचार किया जाएगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना,
जिला झालावाड